भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2697

दिनांक 05 अगस्त, 2025

कृषि विज्ञान केंद्र

2697. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र ने लद्दाख में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की चार इकाइयों, जो वर्तमान में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी) से संबद्ध हैं, की संबद्धता लद्दाख विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस निर्णय से उक्त केवीके की तकनीकी क्षमताएं प्रभावित होंगी क्योंकि लद्दाख विश्वविद्यालय एक गैर-तकनीकी शैक्षणिक संस्थान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या उक्त केवीके में कई तकनीकी और गैर-तकनीकी पद रिक्त पड़े हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा उन रिक्तियों को तत्काल आधार पर भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रशासन ने 4 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) [अर्थात लेह-I (लेह), लेह-II (न्योमा), कारगिल- I (कारगिल) और कारगिल- II], जो लद्दाख क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में पड़ते हैं, का प्रशासनिक नियंत्रण शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर (SKUAST-K) से ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने इस प्रस्ताव पर लद्दाख विश्वविद्यालय, एसकेयूएएसटी-के, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श कर लिया है। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर (SKUAST-K) से लद्दाख विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्रों के हस्तांतरण के लिए कुछ औपचारिकताएं जैसे-भूमि हस्तांतरण, कर्मचारियों की सेवा शर्तें आदि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पूर्ण की जानी हैं ताकि इस बारे में आगामी निर्णय लिया जा सके।

<u>(ख) एवं (ग) :</u> लद्दाख विश्वविद्यालय ने लेह और कारगिल स्थित दो परिसरों में बी.एससी., पीएच.डी., मूलभूत कृषि प्रशिक्षण और मूलभूत बागवानी प्रशिक्षण जैसे कृषि शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू किया है। ये शिक्षण संस्थान कृषि विस्तार गतिविधियों के समन्वय में कृषि विज्ञान केंद्रों को तकनीकी सहायता (बैकस्टॉपिंग) प्रदान करेंगे।

(घ) : जी, हां। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या
वरिष्ठ वैज्ञानिक -सह- अध्यक्ष	2
एसएमएस	16
तकनीकी	9
प्रशासनिक	5

(ड.) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि विज्ञान केंद्र योजना के अनुसार, कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न मेजबान संगठनों जैसे- राज्य सरकारों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत खोले जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में रिक्तियों को भरने का दायित्व संबंधित मेजबान संगठन का होता है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नियमित रूप से उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

****